अपील/08/2017 न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

1—जगदीश । पुत्रगण श्री नत्थी जाति ब्राहम्ण निवासी बरसो तहसील व जिला
2—सहदेव । भरतपुर राजस्थान

.....अपीलान्टस

बनाम

1—रामकिशोर पुत्र टेकचंद
2—लेखराज पुत्र टेकचंद
3—प्रकाशवीर पुत्र टेकचंद
4—सतीशचंद पुत्र टेकचंद
5—छैलबिहारी पुत्र भगवत प्रसाद
6—मनोज कुमार पुत्र भगवत प्रसाद
7—घनश्याम पुत्र भगवत प्रसाद

जाति ब्राहम्ण निवासी बछामदी तहसील व जिला भरतपुर, राजस्थान

.....रेस्पो0

अपील विरुद्ध आदेश तहसीलदार भरतपुर दिनांक 14—3—1953 बाबत नामान्तकरण संख्या 222 वाके ग्राम बछामदी तहसील भरतपुर

उपस्थित :—
1—श्री महाराजसिंह डागुर, अभिभाषक अपीलान्ट,
2—श्री प्रमोद उपमन, अभिभाषक रेस्पो0

निर्णय दिनांक 8.5.2024

अपीलान्ट ने यह अपील विरुद्व रेस्पो0 व खिलाफ नामान्तकरण संख्या 222 दिनांक 14.03.1953 आदेश तहसीलदार, भरतपुर के पेश की गई है। अपीलान्टस के द्वारा यह अपील न्यायालय हाजा में दिनांक 07.04.2017 को पेश की गई है। अपीलाधीन आदेश नामान्तकरण संख्या 222 दिनांक 14.03.1953 मृतक विन्दावन बल्द भोला की विरासत का टेकचन्द पिसर मुतवन्ना विन्दावन के हक में दर्ज कर तहसीलदार भरतपुर ने दिनांक 14.03.1953 को स्वीकार किया है। उक्त आदेश के खिलाफ यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 07.04.2017 को पेश की गई है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो. की तलवी की गई। रेस्पो. की ओर से उनके अभिभाषक उपस्थित। रेस्पो. की ओर से एक प्रार्थना पत्र प्राथमिक आपत्ति पेश

.....2

जिला कलक्टर
भरतपुर

किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया जिसकी नकल अभिभाषक अपीलान्ट को दी गई। अपीलान्टस की ओर से जवाव प्राथमिक आपत्ति पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया है। योग्य अभिभाषक का कथन है कि प्रार्थना पत्र प्राथमिक आपत्ति पर प्रथम निस्तारण किया जावे। हमने प्रार्थना पत्र प्राथमिक आपत्ति का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र प्राथमिक आपत्ति में दर्ज मुद्दे प्रकरण की मैरिट को टच करते हैं न्यायहित में प्रार्थना पत्र प्राथमिक एतराज में उठाये गये विन्दूओं का निस्तारण मैरिट पर विचार किया जावेगा। अस्तु योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की वहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने कथनों में अपील में अंकित कथनों को दोहराते हुये जाहिर किया कि मृतक विन्दावन वल्द भोला की मिलकीयत में अंकित आराजी का अपीलाधीन नामान्तकरण उसके दत्तक पुत्र टेकचंद के हक में स्वीकृत किये जाने का आदेश दिया गया है। योग्य अभिभाषक का कहना है कि अपीलान्ट के पिता स्व. नत्थी उक्त टेकचंद व स्वं मनोहर पुत्रगण सूरजी मृतक विन्दावन के खास भतीजे छोटे भाई के पुत्र रहे हैं और इस आराजी को उनके मरणोपरान्त तीनों भाईयों ने समभाग उत्तराधिकार में प्राप्त किया था अव उन तीनों की मृत्यु हो चुकी है, स्व. नत्थी व स्व. मनोहर के 2/3 हिस्सा को उनके मरणोपरान्त अपीलार्थीगण ने समभाग में उत्तराधिकार में प्राप्त किया है। इस प्रकार विवादित आराजी में अपीलार्थीगण 2/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार काविज हैं शेष 1/3 हिस्सा के स्व0 टेकचंद के स्थान पर उत्तरवादीगण सम्भाग प्रत्येक के खातेदार काश्तकार काविज हैं। योग्य अभिभाषक का तर्क है कि तहसीलदार भरतपुर ने अपीलाधीन नामान्तकरण स्वीकार कर समस्त अराजी पर स्व0 टेकचंद व अव उत्तरवादीगण के नाम कर दर्ज कर दिये हैं जो नियमों के खिलाफ हैं। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट का तर्क है कि अपीलाधीन नामान्तकरण प्रकरण मि0न0 6 दिनांक 25.11.1947 से किसी अर्जी विन्दावन पर खोला गया है, यह नामान्तकरण मृतक विन्दावन के जीवनकाल में किस दस्तावेज या आदेश के आधार पर खोला गया है कुछ भी स्पष्ट नहीं है। इसलिये यह आदेश निरस्तनीय है। विवादित नामान्तकरण स्वीकृत होने के बाद लगभग 8 वर्ष वाद उक्त विन्दावन की मौत हुई है उसके मरणोपरान्त कोई भी जायदाद/आराजी वगे. उसके दत्तक पुत्र टेकचंद के नाम नामान्तरित नहीं हुई है, पूरे नामान्तकरण में कहीं पर भी यह स्पष्ट नहीं किया है कि यह विरासत किस मृतक की विरासत का भरा गया है इस प्रकार विना मृत्यु हुये जीवनकाल में ही मृतक की आराजी का विरासत का नामान्तकरण खोले जाने व स्वीकृत किये जाने में अधीनस्थ न्यायालय ने भारी त्रुटि की है। अपीलाधीन आदेश अधिकार क्षेत्र से बाहर पारित किया है इसलिये शून्य है उसके विरुद्ध अपील करने के लिये कोई अवधि का व्यवधान नहीं है। योग्य अभिभाषक का म्याद के वावत कहना है कि अपीलार्थीगण को इस आदेश की कोई जानकारी दिनांक 4.01.2017 तक नहीं थी दिनांक 2.1.2017 को पटवारी हल्का द्वारा इस सम्वन्ध में वताने पर

.....3

जिला कलक्टर
भरतपुर

नकल हेतु दिनांक 2.1.2017 को ही आवेदन किया और नकल वगैरा लेकर जानकारी होने की दिनांक से अपील अन्दर म्याद पेश की गई है, देरी को क्षमा करने के लिये प्रार्थना पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम पेश किया गया है। अपील अपीलान्टस स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश नामान्तकरण संख्या 14.3.1953 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

योग्य अभिभाषक रेस्पो ने अपने तर्को में जाहिर किया कि अपीलान्टस द्वारा नामान्तकरण संख्या 222 दिनांक 14.03.1953 के खिलाफ यह अपील लगभग 65–66 साल बाद श्रीमान न्यायालय में पेश की गई है जो म्याद बाहर है। अपीलान्टस की ओर से जो म्याद अधिनियम धारा 5 के प्रार्थना पत्र में 65 साल की देरी का महीने दिन वाईज देरी का कोई उल्लेख नहीं किया है। प्रार्थना पत्र में अपीलान्टस का यह लिखना की पटवारी हल्का ने दिनांक 02.01.2017 को उक्त नामान्तकरण की जानकारी दी लिखना ही पर्याप्त नहीं है। योग्य अभिभाषक रेस्पो. का तर्क है कि यहॉ विचारणीय है कि क्या अपीलान्टस दिनांक 2.1.2017 से पहले 65 साल तक कभी पटवारी हल्का से नहीं मिले या पटवारी कभी अपीलान्टस से नहीं मिला हो ऐसा नहीं हो सकता है। प्रार्थना पत्र म्याद अधिनियम में गलत तथ्यों के आधार पर झूठा पेश किया गया है। विवादित आराजी पर रेस्पो. के पिता / बाबा टेकचंद वहैसियत खातेदार दर्ज है और अपने जीवन काल में काबिज होकर काश्त करते आ रहे थे उनके मरने के बाद रेस्पो आराजी पर वहैसियत खातेदार काबिज होकर शांति पूर्वक काश्त करते चले आ रहे हैं। विवादित आराजी में अपीलान्टस का कोई हित निहित नहीं है, आज अपीलान्टस का 66 साल बाद आराजी में अपना हित बताना कतई गलत है तथ्यों से परे है। योग्य अभिभाषक रेस्पो.ने अपने कथनों के समर्थन में रुलिंग डीएनजे 2022(1) पेज 374, आरआरडी 2008 पेज 644, डीएनजे राजस्व 2020 पेज 221, उद्धरत की तथा अपील अपीलान्टस खारिज किये जाने की प्रार्थना की गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष के कथनों पर गौर किया गया। प्रस्तुत रुलिंग का ससम्मान अध्ययन किया गया। प्रस्तुत अपीलान्टस द्वारा यह अपील नामान्तकरण संख्या 222 दिनांक 14.3.1953 ग्राम बछामदी तहसील भरतपुर के खिलाफ न्यायालय हाजा में दिनांक 7.4.2017 को पेश की गई है। विचाराधीन अपील में मुख्य रुप से निम्न बिन्दू तय होने हैं :–

1– क्या अपील म्याद बाहर पेश की गई है ?
2– क्या नामान्तकरण मृतक के जीवनकाल में बिना किसी दस्तावेज या आदेश के आधार पर नियमों के विपरीत स्वीकार किया गया है ?
3– क्या नामान्तकरण में अंकित विवादित आराजी में अपीलान्टस के हित प्रभावित हो रहे हैं ?

जिला कलक्टर
भरतपुर

.....4

1— विचाराधीन अपील में अपीलाधीन नामान्तकरण 222 दिनांक 14.03.1953 तहसीलदार भरतपुर द्वारा स्वीकार किया गया है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.03.1953 के खिलाफ अपील इस न्यायालय में दिनांक 7.4.2017 को पेश की गई है। इस प्रकार अपील करीब 64 साल बाद असीमित देरी से पेश की गई है। अपील की देरी को माफ करने के लिये प्रार्थना पत्र म्याद अधिनियम धारा 5 पेश किया गया है का अवलोकन किया गया। अपीलान्टस ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि:—

> ".....अपीलान्टस को आदेश तहत की कोई जानकारी दिनांक 04.01.2017 तक नहीं थी, दिनांक 02.01.2017 को पटवारी हल्का द्वारा इस सम्बन्ध में बताने पर नकल हेतु दिनांक 02.01.2017 को ही आवेदन किया है जिस पर दिनांक 04.01.2017 को नकल आदेश मिली है और आदेश तहत की जानकारी हुई, जानकारी होने पर दिनांक 5—1—2017 से 03—03—2017 तक अन्य कागजात को इक्ट्ठा करने पर अपील तैयार कराने में समय लगा है इसलिये इस समय को निकाले जाने पर यह अपील अंदर अवधि पेश की जा रही है.....।"

अपीलान्ट का यह कहना कि उसे पटवारी के जानकारी देने पर अपीलाधीन आदेश का पता चला, यह कथन असत्य है, यहॉ यह विचारणीय प्रश्न है कि क्या पटवारी 64 साल के दरमियान अपीलान्टस से कभी नहीं मिला या अपीलान्टस अपने भूमि के बारे में कभी पटवारी के पास नहीं गये हों ऐसा नहीं हो सकता है। इस बाबत सम्बन्धित पटवारी का शपथ पत्र भी कथनों की ताईद में पेश नहीं किया गया है। यहॉ प्रश्न यह भी उठता है कि क्या हल्का पटवारी के पास 64 साल का राजस्व रिकार्ड रहता है, इसका उत्तर नहीं है क्योंकि पुराना राजस्व रिकार्ड नियमानुसार अभिलेखागार में रहता है। यहॉ यह भी विचारणीय है कि मृतक विन्दावन एवं आराजी ग्रांम बछामदी में है जब कि अपीलान्टस ग्रांम बरसो के रहने वाले हैं, ग्रांम बछामदी एवं ग्रांम बरसो के पटवार सर्किल एवं हल्का पटवारी अलग—अलग नियुक्त है, इस प्रकार अपीलान्टस का यह कहना कि पटवारी हल्का ने जानकारी दी हास्यपद है। इस प्रकार अपीलान्टस ने 64 साल असीमित देरी से प्रस्तुत अपील को माफ नहीं किया जा सकता है।

2— अपीलाधीन आदेश नामान्तकरण संख्या 222 दिनांक 14.03.1953 ग्राम बछामदी तहसील भरतपुर का अवलोकन किया गया। नामान्तकरण के कॉलम संख्या 4 में "विन्दावन वल्द भोला कौम ब्राहमण साकिन देह सालिम" का अंकन हो रहा है तथा नामान्तकरण के कॉलम नम्बर 9 में "टेकचन्द पिसर मुतबन्ना विन्दावन कौम ब्राहम्ण साकिन देह सालिम" का अंकन हो रहा है।

जिला कलक्टर
भरतपुर

.....5

टेकचन्द पिसर मुतवन्ना विन्दावन के नाम इन्द्राज किये जाने के आदेश का उल्लेख इसी नामान्तकरण के कॉलम संख्या 13,14,15 में इस प्रकार किया हुआ है जो इस प्रकार है :—

> ".....उनवान मुकदमा मि.न. 6 विस्वारा बछामदी 25.11.1947 अर्जी विन्दावन वल्द भोला कौम ब्राहमण सा. बछामदी बावत मंजूर फरमाये जाने दाखिल खारिज बनाम टेकचंद पिसर मुतवन्ना सायल हकीयत वाके बछामदी पीरनगर....."।

उक्त नोट इन्द्राज के नीचे एक नोट और अंकित है जो इस प्रकार है :—

> खुलासा हुक्म
> "..... इस बारे में दरख्वास्त विन्दावन हिस्सेदार मौजा बछामदी ने बावत दाखिल खारिज बनाम टेकचन्द पिस मुतवन्ना पेश की थी इस में वाद तहकीकात मुताविक हुक्म माल भरतपुर ता. 24.8.50 विनावर अमल दरामद कागजात पटवार इत्तला दी जाती है कि दाखिल खारिज विन्दावन हिस्से पर मौजा बछामदी बनाम टेकचन्द पिसर मुतवन्ना दर्ज किया जावे.....।"

अपीलाधीन नामान्तकरण में हो रहे उक्त नोट इन्द्राजात से यह जाहिर है कि खातेदार विन्दावन वल्द भोला ने अपने जीवनकाल में ही एक प्रार्थना पत्र (दरख्वास्त) तहसीलदार के यहां पेश की गई है, इस पर तहसीलदार ने प्रकरण मिसिल नम्बर 6 दर्ज कर विन्दावन वल्द भोला के प्रार्थना पत्र पर तहकीकात (जांच पड़ताल) कर अपने आदेश हुक्म दिनांक 24.8.1950 को दाखिल खारिज विन्दावन हिस्से पर टेकचन्द पिसर मुतवन्ना विन्दावन कौम ब्राहम्ण दर्ज किये जाने दिया गया है। तहसीलदार भरतपुर ने तत्समय प्रचलित नियमों के अधीन विन्दावन वल्द भोला जाति ब्रा0 के प्रकरण को दर्ज रजिस्टर कर बाद जांच पड़ताल किये विधिवत आदेश दिया गया है। इस प्रकार अपीलान्टस का 64 साल बाद आकर यह कहना कि नामान्तकरण मृतक के जीवनकाल में बिना किसी दस्तावेज या आदेश के आधार पर नियमों के विपरीत स्वीकार किया गया है, उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलान्ट का यह कथन स्वीकार योग्य नहीं रहता है।

3— अपीलाधीन आदेश नामान्तकरण संख्या 222 के कॉलम संख्या 4 विन्दावन वल्द भोला कौम ब्राहम्ण साकिन देह सालिम का अंकन हो रहा है। यानि विन्दावन के साथ अन्य कोई सहखातेदार दर्ज राजस्व रिकार्ड नहीं है, और नाहीं अपीलान्टस ने ऐसा कोई साक्ष्य दस्तावेजी राजस्व रिकार्ड वगे. हमारे समक्ष पेश किया है जिससे यह माना जा सके कि अपीलान्टस की पैतृक सम्पत्ति आराजी रही हो। अपीलान्टस का केवल जुबानी कथनों के आधार पर विवादित आराजी में उनका कोइ हितनिहित नहीं

.....6

जिला कलक्टर
भरतपुर

माना जा सकता है। अपील के जुबानी कथनों के समर्थन में राजस्व रिकार्ड वगे पेश करना चाहिये था, परन्तु अपीलान्टस ने अपने जुबानी कथनों के समर्थन में ऐसा कोई साक्ष्य दस्तावेजी हमारे समक्ष पेश नही किया जिससे उनका हित विन्दावन की आराजी में माना जा सके कोई भी जुबानी कथन को राजस्व रिकार्ड से समर्थित कराया जाना चाहिये ना कि जुबानी कथनो के आधार पर। नामान्तकरण में अपीलान्टस का कोई हित निहित नहीं है, प्रकरण में अपीलान्टस का कोई Locus standia नहीं है। नामान्तकरण कार्यवाही एक फिस्कल प्रोसिडिंग है इसमें किसी के हक हकूक तय नहीं होते हैं। अस्तु अपील अपीलान्टस तथ्यहीन होने से काबिल खारिज के रहती है।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 8–5–2024 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर,
भरतपुर